झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
नामांकन सूचना

संताल परगना के गोड्डा जिला अन्तर्गत नवनिर्मित , SCVT द्वारा संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सूचना।

निम्नांकित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एस0सी0भी0टी0 (SCVT) के अन्तर्गत सितम्बर 2017 से प्रारंभ होने वाले सत्र में प्रत्येक संस्थान के समक्ष अंकित व्यवसायों में प्रवेश के निमित इच्छुक महिला एवं पुरूष उम्मीदवारों से अनूसूची –'क'–के अनुसार हस्त लिखित/टंकित आवेदन पत्र **20 जुलाई 2017 तक** आमंत्रित किए जाते है।

1. **(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुन्दरपहाडी (गोड्डा)**

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल युनिट	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1	2	3	4	5
1	इलेक्ट्रीशियन	02	42	दो वर्ष
2	फीटर	02	42	दो वर्ष
3	मैकेनिक डीजल	02	42	एक वर्ष
4	वेल्डर	02	32	एक वर्ष

(ख) महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोड्डा

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	कुल युनिट	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1	2	3	4	5
1	इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक	01	21	दो वर्ष
2	फ्रण्ट ऑफिस असीस्टेंट	01	21	एक वर्ष
3	फैशन डिजाईन टेक्नोलॉजी	01	21	एक वर्ष
4	स्वीइंग टेक्नोलॉजी	01	21	एक वर्ष

2. प्रवेश पाने हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है।
   (क) वेल्डर एवं स्वींग टेक्नॉलोजी व्यवसाय के लिए आठवाँ(8वाँ) उत्तीर्ण।
   (ख) शेष व्यवसाय के लिए माध्यमिक /10वाँ/समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण 10+2+3 प्रणाली के आधार पर।
   (ग) नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जायेगा।
3. आयु अहर्ता:– (क)–01 जुलाई 2017 को न्यूनतम आयु **14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच** होना चाहिए।

   (ख)– सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष।

   आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10 वाँ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि ही वैद्य होगी। आठवाँ (8वाँ) स्तर के व्यवसायों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि वैद्य होगी।

4. प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगे।
5. आवेदन पत्र के साथ आवेदन पंजीयन शुल्क के रूप में **100/– (सौ रूपये) मात्र का पोस्टल आर्डर देना होगा।** जो संबंधित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुन्दरपहाडी/प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोड्डा के पदनाम से देय होगा तथा **गोड्डा में** भुगतेय होगा। किसी भी शर्त पर यह राशि नगद राशि के रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी तथा **न हीं** लौटायी जायेगी। **पोस्टल आर्डर एक माह के अन्दर का होना चाहिए।**
6. प्रवेश करने के समय प्रशिक्षाणार्थियों को 50/–(पचास रूपये) मात्र कौशन मनी के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या सामान को जानबूझ कर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कौशन मनी से काट ली जायेगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अन्दर कौशन मनी वापस नहीं लेते हैं तो इसे जब्त कर लिया जायेगा और सरकारी खजाना में जमा कर दिया जायेगा। सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृत्ति मिल सकती है।
8. आरक्षण अहर्ता:– (क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र संख्या –07/नीति/आरक्षण–06/2001 का0–5886/राँची दिनांक– 21.09.2011 के अनुसार रहेगा।
   (ख) मेरिट से चुने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा बल्कि खुली गुणा–गुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध माना जायेगा।

   (ग) प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिशत नामांकन सुपरन्यूमरी है। अर्थात कुल सीट = स्वीकुत सीट+ स्वीकृत सीट का 30% अतिरिक्त सीट।

   (घ) सुपरन्यूमरी सीट की एक–एक सीट दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए(किसी भी वर्ग के) आरक्षित है।

(ड़) बाकी बचे सुपरन्यूमरी सीट में अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

गोड्डा

नव निर्मित औघोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु प्रशिक्षणार्थियों का कोटिवार सीटों का विवरणः–													
					स्वीकृत सीट का विभाजन					सुपरन्यूटी सीट			
	Institute Name	Period	Name of the Trade	स्वीकृत सीट	GEN	ST	SC	BC-I	BC-II	PH	SMQ	Super NUmric SC/ST	Toatal Seat
			आरक्षण प्रतिशत में		50%	25%	8%	10%	7%				
	औ0 प्र0 संस्थान, सुन्दरपहाडी	दो वर्षीय कोर्स	फीटर (दो यूनिट)	32	16	8	3	3	2	1	1	8	42
			इलेक्ट्रीशयन (एके यूनिट)	32	16	8	3	3	2	1	1	8	42
		एक वर्षीय कोर्स	डीजल मैकेनिक (दो यूनिट)	32	16	8	3	3	2	1	1	8	42
			वेल्डर (दो यूनिट)	24	12	6	2	2	2	1	1	6	32
	महिला औ0 प्र0 संस्थान, गोड्डा	दो वर्षीय कोर्स	इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक (एक यूनिट)	16	8	4	1	2	1	1	1	3	21
		एक वर्षीय कोर्स	स्वींइंग टेक्नोलॉजी (एक यूनिट)	16	8	4	1	2	1	1	1	3	21
			फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट (एक यूनिट)	16	8	4	1	2	1	1	1	3	21
			फैशन डिजाईन टेक्नोलॉजी (एक यूनिट)	16	8	4	1	2	1	1	1	3	21

9. आवासीय अहर्ताः– सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के निवासी हैं या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते है। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–14/स्थानीयता निति 14.03.2016 का 4650 दिनांक– 02.06.2016 (**संकल्प संख्या 3198 दिनांक–18.04.2016**) में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया हैं। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी **(अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त)** द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तूत करना अनिवार्य है।

10. जाति आधारित अहर्ताः– नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकरी **(अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल) या उपायुक्त)** द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की मूलप्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

11. आवेदन पत्र एवं नामांकन हेतु दिशा निर्देश www.godda.nic.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

12. आवेदन प्रपत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ, **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुन्दरपहाडी के लिए (1.) प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुन्दरपहाडी, AT.–तिलावाद, पो0–सुन्दरपहाडी, जिला–गोड्डा –814156 एवं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोड्डा के लिए (2.) प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोड्डा, AT.–सिकटिया, पो0– गोड्डा, जिला–गोड्डा –814133. के पते पर दिनांक –20.07.2017 को संध्या 5:00 बजे तक निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त होना अनिवार्य है।**

नोटः– निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।

नोडलपदाधिकार(नामांकन) –सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
औ0 प्र0 संस्थान, सुन्दरपहाडी/महिला गोड्डा।

उपायुक्त
गोड्डा।

सूचना

झारखंड राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सूचना

सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सितम्बर 2017 से प्रारंभ होने वाले सत्र में नामकंन हेतु इच्छुक महिला एवं पुरूष उम्मीदवारों से अनुसूचि–''क'' के अनुसार हस्तलिखित/ टंकित आवेदन पत्र दिनांक 20.07.2017 तक आमंत्रित किए जाते है :–

अनुसूची ''क''
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने हेतु आवेदन पत्र

आवेदक अपना पूर्ण हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाये।

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम :–...
2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :–...
   (हिन्दी में) :–..
3. (क) पिता का नाम :–..
   (ख) अभिभावक का नाम :–..
4. पिता /अभिभावक का पेशा :–...
5. उम्मीदवार का पूरा पता :–..
   (क) स्थायी पता :–...
   (ख) थाना :–...................................गृह जिला.............................पिन नं0...................................
   (ग) पत्राचार का पता :–..
   ....
6. उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन :–..
7. जन्म तिथि (प्रमाण–पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ) :–..
8. दिनांक 1 जुलाई 2017 को आयु ....
9. शैक्षणिक योग्यता :–
   कृपया प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दे :–

क्र0सं0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष (वार्षिक/पूरक)	श्रेणी	प्राप्तांक	कुल अंक	परीक्षा के विषय	अभ्युक्ति
1									
2									
3									
4									

नोटः– आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें।

10. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्य है?
    :–...
11. क्या उम्मीदवार भुतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित है?...
12. क्या उम्मीदवार दिव्यांग है?..
13. पिता/अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के वयस्क एवं नाबालिक दोनों की अलग–अलग
    संख्या :–...
14. आवेदन पत्र के साथ आवेदन पंजीयन शुल्क (100/–रूपये मात्र) के रूप में संलग्न पोस्टल आर्डर (एक महीने के अन्दर का होना चाहिए) की संख्या निर्गत होने की तिथि तथा राशि :–..
15. अनुलग्नक की विवरणी :– 1)...........................2).............................3)...............................
    4)......................................5)....................................6)...........................7)................................

मैं ....पिता का नाम ....प्रमाणित करती हूँ/करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है एवं सही है।

आवेदन देने की तिथि आवेदक का हस्ताक्षर